रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 1971/श्रावण 12, 1893
No. 402] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 1971/SRAVANA 12, 1893

इस भाग मे भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 3rd August* 1971

S.O. 2903.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eighth Amendment Order, 1971.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'A' after item No. 33 the following shall be added:—

"34. Ivory Un-manufactured (Elephant Tusks)".

[No. E(C)O, 1968/AM(59).]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### आदेश

### निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1971

एस० ओ० 2903.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1971 की आठवीं संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची—1 के भाग "ए" को मद संख्या 33 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"34 बिना तयार किए हुए हाथी दांत (गजदन्त)" ।

[सं० ई० (सी०) ओ०, 1968/ए० एम० (59)]

एम० एम० सेन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971